न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 06/2025 (जीसीएमएस सं.–2025/112) दायर दिनांक 02.04.2025

राज्य सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर
——प्रार्थी

बनाम

संजय कुमार पुत्र गंगाराम निवासी वार्ड न. 23 श्रीविजयनगर (गिरधारी टी स्टॉल श्रीविजयनगर)
——अप्रार्थी

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

:: निर्णय :: दिनांकः–04/09/2025

1. यह इस्तगासा प्रार्थी श्री रामसिंह मीना जिला रसद अधिकारी अनूपगढ़ द्वारा धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। इस्तगासा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.11.2024 को जिला रसद अधिकारी अनूपगढ़ मय प्रवर्तन स्टाफ विजयनगर स्थित फर्म/होटल, गिरधारी टी स्टॉल पर पहुंचे, जहां संजय कुमार पुत्र गंगाराम निवासी वार्ड नं. 23 विजयनगर मौके पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को दुकान का मालिक बताया। संजय कुमार की उपस्थिति में गिरधारी टी स्टॉल विजयनगर की जांच में पाया कि इस प्रतिष्ठान पर चाय नाश्ता बनाने व बेचने का व्यवसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए गिरधारी टी स्टॉल विजयनगर पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर गिरधारी टी स्टॉल पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर दो भट्टी से जुडे पाये गये व 02 अन्य घरेलू गैस सिलेण्डर भी रखे पाये गये जो कि भट्टी/चुल्हे से जुडे हुये नहीं थे। उक्त सभी घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के पाये गये। संजय कुमार ने घरेलू गैस सिलेण्डर प्रतिष्ठान पर चाय नाश्ता बनाने के व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया जाना बताया। संजय कुमार द्वारा उक्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज संजय कुमार के द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। फर्म गिरधारी टी स्टॉल विजयनगर पर पाये गये 04 घरेलू गैस सिलेण्डर मय दो भट्टी मय नली रेगुलेटर को जरिये फर्द जब्ती किये गये एवं भगवती गैस एजेन्सी विजयनगर के कार्मिक मदन वर्मा पुत्र रामप्रताप उम्र 40 वर्ष जाति कुम्हार निवासी 9 बीजीडी बी रायसिंहनगर, आधार सख्या 212553774087, मो. 9694239090 को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि संजय कुमार पुत्र गंगाराम निवासी वार्ड नं. 23 विजयनगर जिला अनूपगढ द्वारा अवैध तरीके से घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया जा रहा था। संजय कुमार पुत्र गंगाराम निवासी वार्ड नं. 23 विजयनगर के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक कार्य में करने का कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की धारा 3 (1) (ख) (ग), 4 (1) (क) (ग) (2), 6, 7(1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय दो भट्टी मय नली रेगुलेटर को राजसात करने का आदेश फरमावें।
2. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किय गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस तामील होने तथा पर्याप्त सूचना होने के वाबजूद भी अप्रार्थी आज दिनांक तक हाजिर नहीं आये।
3. पत्रावली का गहतना अवलोकन किया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 14.11.2024 को मौके पर तैयार किये गये फर्द मौका मय जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है जिससे यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है। अप्रार्थी ने उक्त कार्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की धारा 3 (1) (ख) (ग), 4 (1) (क) (ग) (2), 6, 7(1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी संजय कुमार पुत्र गंगाराम निवासी वार्ड न. 23 श्रीविजयनगर के फर्म/होटल गिरधारी टी स्टॉल से जब्त 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय दो भट्टी मय नली रेगुलेटर को राजसात करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी को पालनार्थ/आवयक कार्यवही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:23:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner